राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र. एफ 40(25)ग्रावि/नरेगा/एन.जी.ओ.पत्रा./2010 जयपुर, दिनांकः 12/10/2010

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, 12 OCT 2010
समस्त राजस्थान।

विषयः- एनजीओ को महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाने संबंधी दिशानिर्देश।

संदर्भः- विभागीय पत्र क्र. एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईडलाईन/एनजीओ/2010 दिनांक 13.04.10 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.09.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 13.04.10 द्वारा एन.जी.ओ. को महात्मा गांधी नरेगा में अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये थे एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.09.10 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर राज्य स्तर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

उक्त निर्देश दिनांक 13.04.10 के बिन्दु सं. 9.1.2 अनुसार जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर गठित समिति परीक्षण कर उपयुक्त पाये गये आवेदनों को प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भिजवायेगी एवं बिन्दु सं. 9.1.3 अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये गये आवेदनों का राज्य स्तर पर परीक्षण राज्य स्तरीय पंजीकरण समिति द्वारा किया जावेगा।

उक्त परिपत्र दिनांक 13.04.10 के बिन्दु सं. 9.1.2 में संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को ही इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तो के अधीन गैर सरकारी / स्वयं सेवी संगठन के चयन एवं पंजीकरण हेतु अधिकृत किया जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक चयन एवं पंजीकरण के आदेश की सूचना मुख्यालय को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

भवदीय,

(सी. एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

D Letters Technical doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री/ राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

12/10/10

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

D:\Letters Technical.doc